


पत्रांक-1768

दिनांक-11-12-13



तकनीकी विशेषज्ञ निबंधन/अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र

निबंधन/अनुज्ञप्ति संख्या ER0029/2013 RRDA




प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय साहू


पिता/मति श्री मधु राम साहू पता पुन्दागा रोड, अरगोड़ा,  
राँची - 834002



को उनसे प्राप्त आवेदन पर समीक्षोपरान्त निदेशानुसार वर्ष 2013 एवं 2014  
(दिनांक 06.12.2013 से 31.12.2014 तक की अवधि) के लिए राँची क्षेत्रीय विकास  
प्राधिकार, राँची के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में भवन नक्शा तैयार करने एवं स्वीकृति के लिए जाँचोपरान्त  
अग्रसारित करने हेतु अभियंता के रूप में निबंधित करते हुये अनुज्ञप्ति निर्गत  
किया जाता है। उक्त अनुज्ञप्ति हेतु शुल्क के रूप में कुल ₹ 5,000=00 (पाँच  
हजार) रुपये मात्र नगद या बैंक ड्राफ्ट नं० X X दिनांक X X  
बैंक/शाखा का नाम X X के माध्यम से प्राधिकार रसीद संख्या-47641  
दिनांक-16.11.13 के द्वारा राशि प्राधिकार को प्राप्त है। उक्त अनुज्ञप्ति की अवधि के  
समाप्ति के पूर्व ही (दिनांक 15.12.2014 से 31.12.2014 तक) नवीकरण हेतु ₹ 1,000=00  
(एक हजार) रुपये मात्र नगद/बैंक ड्राफ्ट के साथ विहित प्रपत्र में  
आवेदन प्राधिकार में जमा करना अनुज्ञप्तिधारक के लिए अनिवार्य है। अनुज्ञप्ति की उक्त अवधि के  
समाप्ति के पूर्व नवीकरण हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन जमा नहीं करने पर अनुज्ञप्ति की समाप्ति के  
बाद में नवीकरण का आवेदन प्राप्त नहीं जायेगा तथा फिर से नये सिरे से निबंधन कराना होगा।  
इसके लिए अनुज्ञप्तिधारक स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा भविष्य में इनके विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं  
होगा।



तकनीकी विशेषज्ञ का पूर्ण हस्ताक्षर

  
सचिव,  
राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार,  
राँची